09-09-2023 प्रकरण आज न्यायालय श्रीमती दीक्षा तनेजा अग्निहोत्री, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लवकुशनगर के नियमित न्यायालय से प्रकरण विधिवत लोक अदालत में निपटाए जाने की प्रार्थना किये जाने पर इस **खण्डपीठ कमांक 23** के समक्ष प्रस्तुत।

आवेदिका द्वारा अधिवक्ता श्री आर.बी. पाल उपस्थित।

प्रकरण आवेदन के जबाव हेतु नियत है।

इसी स्तर पर आवेदिका की ओर से अधिवक्ता द्वारा आवेदन इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उभयपक्ष के मध्य समझौता हो गया है और आवेदिका तथा अनावेदक एक साथ रह रहे हैं। अतः निवेदन स्वीकार कर प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर लोक अदालत के माध्यम से समाप्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरण धारा 125 दंप्रसं के अंतर्गत पंजीबद्ध है। प्रकरण में यद्यपि उभयपक्ष द्वारा निष्पादित राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है किंतु आवेदिका स्वयं अपना प्रकरण वापस लेने हेतु सक्षम है। उभयपक्ष के मध्य हुए समझौता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है।

आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश का भाग रहेगा।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर समयावधि में अभिलेख अभिलेखागार में भेजा जावे।

<u>**एसडी**</u>/–
श्री संतोष कुमार मिश्रा
सदस्य

<u>**एसडी**</u>/–
पीठासीन अधिकारी
खण्डपीठ कमांक–23